

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 05.11.2023

दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार। (थाना महेशगंज)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद के थाना महेशगंज के उ0नि0 श्री विवेक कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज के मु0अ0सं0 163/2023 धारा 363,376(3),506,120बी भादवि व 5L/6पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त अतुल यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी रिसाल का पुरवा थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अतुल यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी रिसाल का पुरवा थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:- श्री विवेक कुमार यादव मय हमराह थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

चोरी की 01 मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना- आसपुर देवसरा

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में जनपद के थाना आसपुर देवसरा से उ0नि0 श्री प्रभात कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा के अनुराग दास इण्टर कालेज, इब्राहिमपुर के पास से 01 अभियुक्त संदीप यादव पुत्र जगरनाथ यादव नि0ग्राम सोनपुरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की एक स्प्लेण्डर प्लस मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उक्त मोटर साइकिल चोरी की है। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 374/2023 धारा 41, 411, 419, 420, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

संदीप यादव पुत्र जगरनाथ यादव नि0ग्राम सोनपुरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी:- 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल स्प्लेण्डर प्लस (जिसका नम्बर बदला हुआ है)।

पुलिस टीम:- उ0नि0 श्री प्रभात कुमार मय हमराह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के अभियोग से संबंधित कस्टडी रिमाण्ड पर लिए अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल 01 देशी पिस्टल 9एमएम व 01 खाली मैगजीन बरामद (थाना आसपुर देवसरा)

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, उ0नि0 प्रभात कुमार सिंह मय हमराह द्वारा जिला कारागार जौनपुर में निरुद्ध अभियुक्त दुर्गेश पाण्डेय पुत्र स्व0 रामकरन पाण्डेय निवासी ग्राम धौरहरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को नियमानुसार रिमाण्ड पर लेकर मु0अ0सं0 314/2023 धारा 302,307,504,506,120बी,34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग से संबंधित घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल पिस्टल की बरामदगी हेतु अभियुक्त की निशानदेही पर थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के कबीरपंथी आश्रम के पास गोदलपट्टी जंगल में भीटे के ऊपर पेड़/झाड़ियों के बीच से 01 देशी पिस्टल 9एमएम मय खाली मैगजीन बरामद कर फील्ड यूनिट द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गई। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त दुर्गेश पाण्डेय के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है।

पूछताछ में अभियुक्त दुर्गेश पाण्डेय द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.09.2023 को इसी बरामद देशी पिस्टल से अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम अकारीपुर निवासी मृतक की हत्या किये थे।

बरामदगी – 01 देशी पिस्टल 9एमएम(आलाकत्ल) व 01 खाली मैगजीन।

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, उ0नि0 प्रभात कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 यशवन्त सिंह राठौर, का0 सूर्यप्रताप सिंह, का0 माधवेश राय, का0 विपेन्द्र सिंह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।